

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 217/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

ओम प्रकाश पुत्र इशर राम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. बिमला पत्नी इशरराम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
2. वाली देवी पुत्री इशरराम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
3. सरोज देवी पुत्री इशरराम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
4. तुलछा पुत्री इशरराम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रामनिवास गोदारा वकील-वादी

श्री राजेश इन्दोरा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक- 21.5.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि आराजी जरई पुरबसर के खसरा नं. 767/1 की 0.1650 है. 798/3 की 1.9610 है. 829/2 की 3.0090 है. 850 की 2.3520 है. 854/3 की 2.0600 है. 854/4 की 1.2640 है. 855 की 1.6060 है. 856/2 की 0.4550 है. कुल- 12.8720 है. तहसील पल्लू में से वादी ओमप्रकाश को 10.2976 है. भूमि तथा प्रतिवादी नं. 1 बिमला को 2.5744 है. भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.5.2025
...को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर